भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्नं संख्या 1375
गुरूवार, 30 जुलाई, 2026/8 श्रावण, 1948 (शक)

आईटी क्षेत्र में छंटनी

1375 श्री संदोष कुमार पी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों द्वारा छंटनी की गई कर्मचारियों की कंपनी-वार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार ने आईटी क्षेत्र में बढ़ रहे छंटनी के कारणों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा प्रभावित कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए, जिसमें पुनः कौशल विकास (री-स्किलिंग) तथा पुनः रोजगार में सहायता भी शामिल है, क्या उपाय किए गए हैं; और
(घ) क्या सरकार का आईटी क्षेत्र में मनमाने ढंग से छंटनी को रोकने तथा रोजगार की स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कोई नीतिगत अथवा विनियामक उपाय का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी बयौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): "श्रम" समवर्ती सूची का विषय है। औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में सीमांकित अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के आधार पर, केंद्र और राज्य सरकारें कामगारों की समस्याओं के समाधान और उनके हितों की रक्षा के लिए कार्रवाई करती हैं। केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्थापनों में, केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) को अच्छे औद्योगिक संबंध बनाए रखने और कामगारों के हितों की रक्षा करने का कार्य सौंपा गया है, जिसमें सेवा-समाप्ति, छंटनी या कामबंदी तथा इसकी रोकथाम से संबंधित मामले शामिल हैं। राज्य सरकारों द्वारा निजी क्षेत्र से संबंधित डेटा का रख-रखाव किया जाता है।

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में कामगारों के अधिकारों और रोजगार सुरक्षा की संरक्षण हेतु विभिन्न उपबंध शामिल हैं, जिनमें अनिवार्य नोटिस अवधि, छंटनी मुआवजे के रूप में सांविधिक सुरक्षा उपाय और छंटनी किए गए सभी कामगारों को पुन: रोजगार में प्राथमिकता देने का भी उपबंध लागू होता है। इस संहिता में पहली बार छंटनी किए गए कामगारों के प्रशिक्षण के लिए 'कामगार पुन: कौशल कोष' की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य छंटनी किए गए कामगारों को वित्तीय सहायता

जारी/2---

प्रदान करना है ताकि वे इस राशि का उपयोग अपने पुन: कौशल के लिए कर सकें। सामूहिक सौदेबाजी को मजबूत करने के लिए वार्ता संघों/वार्ता परिषदों को सांविधिक उपबंधों के अंतर्गत लाया गया है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नैसकॉम के सहकार्यता से उभरती प्रौद्योगिकियों में पुन: कौशल और कौशल उन्नयन के लिए 'फ्यूचरस्किल्स प्राइम' कार्यक्रम लागू कर रहा है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में दीर्घकालिक और अल्पकालिक कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रदान करता है तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में ऑनलाइन एवं मिश्रित पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए 'नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी' प्लेटफॉर्म शुरू किया है।

इसके अतिरिक्त, जिन औद्योगिक स्थापनों में 300 या अधिक कामगार हैं, उन्हें कामबंदी, छंटनी और तालाबंदी करने के लिए समुचित सरकार से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।
